

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-55/2018-19

छोटानागपुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

बीरबल महतो बनाम सम्पति देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

बीरबल महतो, पिता-स्व० सोना राम महतो,  
ग्राम-कुरचूडीह, पो० हाड़ामलोहर, थाना-तमाड़,  
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती-बारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

सम्पति देवी, पति-श्री रामेश्वर महतो,  
ग्राम-जाराडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़,  
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती गृहणि।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री राजेन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-16/02/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता सम्पति देवी, पति-श्री रामेश्वर महतो, ग्राम-जाराडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, पेशा-खेती गृहणि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
मानीकाडीह	तमाड़	193	20	516	0.85 मध्ये 0.26½ ए०
				517	0.74 मध्ये 0.19½ ए०
				521	0.60 मध्ये 0.30 ए०
					0.76 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-436(ii) दिनांक-14/08/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

8



- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम गुरुवा महतो वल्द चामु महतो वो सामु महतो वल्द रधु महतो कौम कुरमी है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध दादा पोता का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम नोवो महतो वगैरह, पिता-गुरुवा महतो है। तथा रैयत के पास खाता सं०-20 में रकवा-3.88½ एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी 24/07/2004-1901316-03-04 तक वसूली गयी है।
- (5) आवेदिक जमाबंदी रैयत के खाता सं०-20 के पोता है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन परती कदमी, दोन तीन किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात आवेदक के पास रकवा-3.12½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को वीमारी का ईलाज कराने एवं खाना खर्च अन्यान्य आवश्यक हेतु विक्रय करना चाहते हैं।
- (9) संलग्न जाति प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय कुरमी जाति के सदस्य हैं।
- (10) संलग्न आवासीय प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना-तमाड़ के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता बीरबल महतो, पिता-स्व० सोना राम महतो, ग्राम-कुरचूडीह, पो०-हाड़ामलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती-बारी को क्रेता सम्पति देवी, पति-श्री रामेश्वर महतो, ग्राम-जाराडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, पेशा-खेती गृहणि के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-08/06/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।



अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता बीरबल महतो, पिता-स्व० सोना राम महतो, ग्राम-कुरचूडीह, पो०-हाड़ामलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती-बारी को क्रेता सम्पत्ति देवी, पति-श्री रामेश्वर महतो, ग्राम-जाराडीह, पो०-सारजमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, पेशा-खेती गृहणि के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मानीकाडीह	तमाड़/193	20	516	0.85 मध्ये 0.26½ ए०
			517	0.74 मध्ये 0.19½ ए०
			521	0.60 मध्ये 0.30 ए०
				0.76 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

10/09/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

10/09/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।